FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0143 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/06/2026 17:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 30/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:46 बजे **Time To (समय तक):** 16:19 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/06/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/06/2026 17:48:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 310 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SHAKHA KARYALAY KARMCHARI RAJYA BIMA NIGAM, CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SATYANARAYAN GADARI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** UDAYLAL GADARI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAYA KHERA, MAHARAJ KA MANDPIYA, SADAS, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAYA KHERA, MAHARAJ KA MANDPIYA, SADAS, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANDEEPA VOHARA		पति:KAPIL VOHARA	1. 3 A.P.,VYAS COLONY,ANAND VIHAR,CHITTORGARH,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2026 को समय करीब 11.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एसयू, उदयपुर ने उनके कार्यालय कक्ष में बुलाकर अवगत कराया कि "मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूत्र सूचना मिली कि जिला चित्तौडगढ में हिन्दुस्तान जिंक चंन्देरिया में कार्यरत एल एण्ड टी कम्पनी का कर्मचारी अगस्त 2025 में ड्यूटी के दौरान अचानक लकवाग्रस्त हो गया था, उक्त कर्मचारी दिनेश कुमार गाडरी के मेडिकल बिलों का भूगतान करने व छुट्टियों के पैसे पास करने के एवज में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिला चित्तौडगढ की मैनेजर श्रीमती संदीपा वोहरा द्वारा दिनेश गाडरी के अंकल श्री सत्यनारायण गाडरी व एल एण्ड टी कम्पनी के एच.आर. मैनेजर श्री मनोज सुखवाल से रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। " तत्पश्चात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उनके मोबाईल से मोबाईल नम्बर पर कॉल कर स्वयं का परिचय देकर मोबाईल धारक श्री मनोज सुखवाल से परिचय पूछकर उनके कर्मचारी से मांग की जा रही रिश्वत राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही एवं एसीबी की कार्यप्रणाली से अवगत करा तथा अग्रिम कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा किये जाने बारे में बताकर मन् पुलिस निरीक्षक से वार्ता करवाई, तो मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोज सुखवाल को स्वयं का परिचय देकर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री सत्यनारायण द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अवगत किया तो श्री मनोज सुखवाल द्वारा स्वयं व श्री सत्यनारायण द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त कर बताया कि अगर आप आपके किसी कर्मचारी को दिनांक 26.05.2026 को प्रातः चंदेरिया भेज देगें तो श्री सत्यनारायण गाडरी जिसके भतीजे के क्लेम पास करने के लिये श्री संदीपा वोहरा द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, मैं व श्री सत्यनारायण जी आपके कार्मिक से मिलकर उन्हे उक्त कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगें एवं मांग सत्यापन वार्ता भी कर लेगें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोज सुखवाल को अवगत किया कि "ब्यूरो कार्यालय के पुलिस उप निरीक्षक श्री मोहम्मद जाबीर एवं श्री राजेश कुमार कानि दिनांक 26.05.2026 को सुबह 09.30 बजे तक चंदेरिया आपके पास आ जायेगें जिनको आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना, उनके द्वारा आपको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन कि प्रक्रिया समझाईश कर दी जायेगी, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर ले जाकर आप व श्री सत्यनारायण संदिग्ध लोकसेविका श्री संदीपा वोहरा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लेना।" श्री मनोज सुखवाल से मोबाईल वार्ता के पश्चात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में आकर श्री मोहम्मद जाबीर उनि व श्री राजेश कुमार कानि को बुलाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर श्री मनोज सुखवाल के मोबाईल नम्बर देकर दिनांक 26.05.2026 को प्रातः 05.30 एएम पर कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं नया रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर उसको चैक कर ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर चन्देरिया पंहुच, श्री मनोज सुखवाल व श्री सत्यनारायण से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करने एवं संदिग्ध लोकसेविका की आम-शोहरत की गोपनीय जानकारी करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 26.05.2026 को समय 12.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर श्री मोहम्मद जाबीर उनि ने कॉल कर अवगत कराया कि "आज सुबह मन् उप निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं नया रिक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी बरंग काला निकाल कर, मेमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डालकर चैक किया गया तो मेमोरी कार्ड रिक्त होकर रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड सूचारू रूप से काम करना पाया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.30 एएम पर मन् उनि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं श्री राजेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 09.30 एएम पर चन्देरिया जिला चित्तौडगढ पंहुचे। जहां पंहुच श्री मनोज सुखवाल से सम्पर्क कर जिंक कार्यालय के पास पंहुचे तो वहां श्री मनोज सुखवाल एवं श्री सत्यनारायण गाडरी उपस्थित मिले। मन् उनि द्वारा श्री सत्यनारायण गाडरी व श्री मनोज सुखवाल को स्वयं का व श्री राजेश कुमार कानि का परिचय देकर उनका परिचय पूछा । तत्पश्चात श्री सत्यनारायण गाडरी द्वारा स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित रिपोर्ट दिनांक 26.05.2026 जिस पर श्री मनोज सुखवाल द्वारा भी हस्ताक्षर कर रखे थे, मन् उनि को प्रस्तुत की, जिसे मन् उनि द्वारा सुरक्षित अपने पास रखी गई। परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी व श्री मनोज सुखवाल को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के संचालन की प्रक्रिया की समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। मन् उनि द्वारा परिवादीगण को

संदिग्ध लोकसेविका की लोकेशन की गोपनीय जानकारी करने हेतु कहा तो परिवादीगण ने अपने स्तर पर पता कर बताया कि श्रीमती संदीपा वोहरा आज व कल कार्यालय में नही आयेगी एवं दिनांक 28.05.2026 को ईद का अवकाश होने से अब दिनांक 29.05.2026 को ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की जा सकती है। जिस पर मन् उनि द्वारा आपको कॉल कर हालात निवेदन किये। तत्पश्चात निर्देशानुसार परिवादीगण को गोपनीयता रखने एवं संदिग्ध लोकसेविका द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने एवं दिनांक 29.05.2026 को प्रात 09.30 एएम पर चन्देरिया तिराहा पर उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर रूकसत कर मन् उनि मय परिवादी श्री सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं श्री राजेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना हुए। तत्पश्चात समय करीब 03.00 पीएम पर श्री मोहम्मद जाबीर उनि व श्री राजेश कानि उपस्थित कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर हालात निवेदन किये। परिवादी श्री सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 26.05.2026 का अवलोकन किया तो परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मैं, प्रार्थी सत्यनारायण पिता उदयलाल जी गाडरी उम्र 41 वर्ष, निवासी महाराज का मंडपिया, जिला चित्तौडगढ के भतीजा दिनेश गाडरी पिता माधु जी जो कि H Z L में हेल्पर में कार्यरत जिसके गेट पास न. C H 60012196 है। जो पिछले 1 वर्ष से कार्य किया, जिसका PF और E S IC नियमित वेतन से कटोती कि गई 23 अगस्त 2025 जो कि ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत खराब होने से जिंक द्वारा चैकअप कर सांवरिया अस्पताल सरकारी चित्तौडगढ में रेफर किया जिसमें पेरेलाईसिस होने से E S IC द्वारा मनोनित अस्पताल राम स्नेही भीलवाडा में इलाज चला जो अभी उपचाररत है। जिसका E S IC द्वारा क्लेम पास करने के कर्मचारी राज्य बिमा निगम कि अधिकारी मेडम सन्दिपा बोरा के द्वारा मेरे साथ मनोज सुखवाल LT H R के साथ गया तो अवैध रूप से E S IC के क्लेम पास करने के लिए रिश्वत कि मांग कर रही है। जिसको मैं रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। कर्मचारी राज्य बिमा निगम कि अधिकारी संदिपा बोरा उक्त कार्य के लिए मनोज जी व मुझसे अवैध 40,000/- रूपये कि रिश्वत मांग रही है। जिसको मैं रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मैं, सत्यनारायण, मैडम संदीपा बोरा के साथ किसी प्रकार की कोई लेन देने बाक्यात नहीं होकर द्ववेश्ता नहीं है। सिर्फ क्लेम पास करने के लिए मांग रही रिश्वत देते हुए पकडवाना चाहता हूं। रिपोर्ट पेश करता हूं। कार्यवाही करें। रिपोर्ट पर सहपरिवादी श्री मनोज कुमार सुखवाल द्वारा अपने हस्ताक्षार किये हुये हैं। रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई। श्री मोहम्मद जाबीर उनि को परिवादीगण के सम्पर्क में रखने की हिदायत दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मोहम्मद जाबीर उनि के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थित कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये, परिवादी की रिपोर्ट पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु पृश्ठाकंन अंकित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सुपुर्द की, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 27.05.2026 को समय 05.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मोहम्मद जाबीर उनि व श्री राजेश कानि को कार्यालय कक्ष में बुलाकर श्री मोहम्मद जाबीर उनि को दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 05.30 एएम पर कार्यालय की अलमारी में रखा हुआ उक्त कार्यवाही में उपयोग लिया जा रहा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेकर परिवादी श्री सत्यनारायण व सहपरिवादी श्री मनोज सुखवाल से सम्पर्क कर मय श्री राजेश कानि के जिला चित्तौडगढ पंहुच रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 29.05.2026 को समय करीब 12.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर श्री मोहम्मद जाबीर उनि ने कॉल कर अवगत कराया कि "आज सुबह मन् उप निरीक्षक द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु कार्यालय की अलमारी में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकाल कर चैक किया गया तो मेमोरी कार्ड रिक्त होकर रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड सूचारू रूप से काम करना पाया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.30 एएम पर मन् उनि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं श्री राजेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 09.30 एएम चन्देरिया जिला चित्तौडगढ पंहुचे। जहां पंहुच श्री मनोज सुखवाल से सम्पर्क कर रिको तिराहा पर पंहुचे तो वहां श्री मनोज सुखवाल एवं श्री सत्यनारायण गाडरी उपस्थित मिले। मन् उनि द्वारा श्री सत्यनारायण गाडरी व श्री मनोज सुखवाल को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के संचालन की प्रक्रिया की समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 11.46 एएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर श्री सत्यनारायण गाडरी को सुपुर्द कर श्री मनोज सुखवाल के साथ मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार चन्देरिया, जिला चित्तौडगढ की तरफ रवाना किया, मन् उनि व श्री राजेश कुमार कानि कार्यालय के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थित छुपाये हुए मुकिम रहे। समय करीब 12.07 पीएम पर श्री सत्यनारायण व श्री मनोज सुखवाल कार्यालय से बाहर आकर मन् उनि व श्री राजेश कानि के पास आये। मन् उनि को श्री सत्यनारायण गाडरी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया, जिसे बन्द कर मन् उनि ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। श्री सत्यनारायण गाडरी ने मन् उनि को बताया कि मैं व श्री मनोज सुखवाल कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्दर गये तो वहां पर श्रीमती संदीपा वोहरा उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिली, उन्होंने मेरे भतीजे दिनेश गाडरी के क्लेम पास करने की ऐवज में दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 30.05.2026 को कार्यालय समय में ही देने के लिये कहा है, उक्त वार्ता को मेरे द्वारा

रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मोहम्मद जाबीर उनि के मोबाईल पर ही परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी से वार्ता की गई तो परिवादी ने मोहम्मद जाबीर उनि द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की, जिस पर परिवादी श्री सत्यनारायण एवं सहपरिवादी श्री मनोज सुखवाल को गोपनियता रखने की हिदायत देकर संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 30.05.2026 को प्रातः 10.00 बजे चित्तौडगढ कलेक्ट्री के पास मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मोहम्मद जाबीर उनि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को स्वयं के पास सुरक्षित रखते हुए परिवादीगण को रूकसत कर श्री राजेश कानि के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर के नाम गवाह तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 787 दिनांक 29.05.2026 जारी कर श्री चन्द्रकान्त हैडकानि को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर के लिये रवाना किया। कुछ समय पश्चात श्री चन्द्रकान्त हैडकानि ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर पंहुच गवाह तलबी तेहरीर संबंधी शाखा में सुपुर्द किया गया, जिस पर उनके द्वारा कार्मिक श्री पुष्कर जोशी कनिष्ठ सहायक एवं श्री आशिष कुमार वैष्णव सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर को गवाह हेतु मनोनित कर उनके मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराये जाकर उनके द्वारा गवाहान को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कराया गया। कार्यालय जिला परिषद उदयपुर का गवाह मनोनयन पत्र उपरोक्त कार्मिक के साथ भिजवाना बताया। तत्पश्चात समय करीब 04.00 पीएम पर कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर से मनोनित दोनों स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो हर दोनों गवाह ने अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री पुष्कर जोशी पुत्र श्री रेमश जोशी, उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नं. 08, गली नं. 02, गणेशपुरा, डायमण्ड बे्रकरी के पास, हाथीपोल, उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर, मोबाईल नम्बर एवं श्री आशिष कुमार वैष्णव पुत्र श्री घनश्याम वैष्णव, उम्र 47 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट बिराटीया कला, तहसील रायपुर, जिला पाली हाल निवासी 2/317, चित्रकूट नगर, राजकीय आवास कॉलोनी, उदयपुर हाल सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर, मोबाईल नम्बर होना बताया। श्री आशिष कुमार वैष्णव ने कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर का मनोनित गवाह पत्रांक- 761 दिनांक 29.05.2026 प्रस्तुत किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहों को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पीएम पर श्री मोहम्मद जाबीर उनि व श्री राजेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक को श्री मोहम्मद जाबीर उनि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर हालात निवेदन किये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा आज दिनांक 29.05.2026 को समय करीब 11.46 एएम से परिवादीगण व संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो श्री मोहम्मद जाबीर उनि व परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिति कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 30.05.2026 को प्रातः 08.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। दिनांक 29.05.2026 को समय 05.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी स्वयं व सहपरिवादी श्री मनोज सुखवाल को समय 10.00 एएम पर चित्तौडगढ कलेक्ट्री पर संदिग्ध आरोपिया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर उपस्थित हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मनोज सुखवाल जी के रिश्तेदारी में मौत होने से कल दिनांक 30.05.2026 को कार्यवाही हेतु नही आ पायेगें, मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर चित्तौडगढ कलेक्ट्री पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात दिनांक 30.05.2026 को समय करीब 08.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री पुष्कर जोशी कनिष्ठ सहायक एवं श्री आशिष कुमार वैष्णव सहायक विकास अधिकारी तथा श्री चन्द्रकान्त हैडकानि मय टेक्सी वाहन के हाजिर कार्यालय आये। गवाहान को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। श्री सुरेश कुमार सउनि से कार्यालय की अलमारी में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सरकारी वाहन बोलेरो के डेश बोर्ड में सुरक्षित रखवाकर सउनि के दोनो हाथो को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त कार्यवाही में उपयोग लिया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय की अलमारी से निकाल कर चैक किया गया तो उक्त मेमोरी कार्ड में दिनांक 29.05.2026 को समय करीब 11.46 ए.एम. से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा। समय करीब 08.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री मोहम्मद जाबीर उ.नि., श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि, श्री दिनेश कुमार हैडकानि, श्री राजेश कानि व स्वतंत्र गवाह श्री आशिष कुमार वैष्णव सहायक विकास अधिकारी को मय लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन बोलेरा से रवाना कर पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री पुष्कर

जोशी कनिष्ठ सहायक, हैड कानि. श्री चन्द्रकान्त मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, सरकारी मोबाईल फोन व ट्रेप बॉक्स के टेक्सी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना हुए। तत्पश्चात समय करीब 10.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनों से रवानाशुदा समय करीब 10.20 एएम पर चित्तौडगढ कलेक्ट्री पंहुचे, जहां परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी उपस्थित मिला। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री सत्यनारायण गाडरी पुत्र श्री उदयलाल गाडरी, उम्र 41 वर्ष निवासी नया खेडा, महाराज का मण्डपिया, पुलिस थाना साडास, जिला चित्तौडगढ होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी को हमराह लेकर कार्यालय भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ पंहुचे, जहां श्री दलपत सिंह सउनि भ्रनिब्यूरो, उदयपुर उपस्थित मिले, तथा कार्यवाही में ईमदाद हेतु पाबंदशुदा श्री सुनिल कुमार हैडकानि 264, श्री दिनेश चन्द्र कानि 54 व श्री आशा म.कानि. 105 उपस्थित मिले जिन्हे कार्यवाही हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 10.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी से पूछने पर बताया कि "मेरा भतिजा श्री दिनेश कुमार गाडरी पुत्र श्री माधुलाल गाडरी, उम्र 24 वर्ष जो हिन्दुस्तान जिंक में कार्यरत कम्पनी एल एण्ड टी में श्रमिक है। अगस्त 2025 में अचानक स्वास्थ्य खराब होकर लकवाग्रस्त हो गया, एल एण्टी टी कम्पनी में श्री दिनेश कुमार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिमा कवर था, जिसके तहत मेडिकल क्लेम व मेडिकल छुट्टियो का भुगतान करने के लिये एल एण्ड टी कम्पनी के एचआर मैनेजर श्री मनोज सुखवाल द्वारा शाखा कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ में आवेदन करने पर शाखा प्रबन्धक श्रीमती संदीपा वोहरा द्वारा श्री मनोज सुखवाल व मुझसे रिश्वत राशि की मांग की गई। मेरे व श्री मनोज सुखवाल श्रीमती संदीपा वोहरा को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते थे इसके बारे में मेरे व मनोज सुखवाल द्वारा मेरे पिताजी श्री उदयलाल गाडरी जो मेरे भतीजे दिनेश के उक्त क्लेम सम्बंधी कार्य करवा रहे थे व मेरे भतिजे श्री दिनेश कुमार गाडरी को बताया तो उनके द्वारा श्रीमती संदीपा वोहरा के विरूद्ध रिश्वत राशि की मांग के संबंध में शिकायत करने हेतु एवं कार्यवाही करने के लिये मुझे व श्री मनोज सुखवाल को कहा था। रिश्वत राशि की शिकायत करने के संबंध में मेरे व श्री मनोज सुखवाल द्वारा हमारे परिचितो से जानकारी की गई। इसी दौरान दिनांक 25.05.2026 को दोपहर में श्री मनोज सुखवाल के मोबाईल पर उदयपुर एसीबी एसयू के एडीशन एसपी साहब का कॉल आया, जिन्होने मनोज सुखवाल को एसीबी की कार्यप्रणाली के बारे में समझाकर आपसे बता करवाई थी उसके बाद आपके बतायेनुसार दिनांक 26.05.2026 को सुबह करीब 09.30 बजे आपके कार्यालय के कार्मिक श्री मोहम्मद जाबीर व श्री राजेश कुमार चन्देरिया आये जो मुझसे व मनोज सुखवाल से चंदेरिया जिंक कार्यालय के पास मिले। जिन्हे मैंने लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, लेकिन उस दिन श्रीमती संदीपा वोहरा कार्यालय में उपस्थित नही होने रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी वार्ता नहीं की जा की। उसके बाद कल दिनांक 29.05.2026 सुबह करीब 09.30 बजे आपके कार्यालय के कार्मिक श्री मोहम्मद जाबीर व श्री राजेश कुमार चन्देरिया आये जो मुझसे व मनोज सुखवाल से रिको तिराहा के पास मिले। उन्होने मुझे व मनोज सुखवाल को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे देकर मुझे व मनोज सुखवाल को कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भेजकर श्रीमती संदीपा वोहरा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई थी। उसके बाद आपके कहेनुसार आज मैं आगे की कार्यवाही के लिये चित्तौडगढ कलेक्ट्री आया हूं श्री मनोज सुखवाल के किसी परिजन की मृत्यु होने से वो आज कार्यवाही हेतु साथ में नही आ सकेगें, आज संदीपा वोहरा उनके कार्यालय में मिल जायेगे, जहां उनसे मैं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता कर सकता हूं" तत्पश्चात समय करीब 10.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की लिखित रिपोर्ट को शब्द-ब-शब्द पढ़कर परिवादी को सुनाया तो परिवादी द्वारा रिपोर्ट सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिखित में होकर स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्ड में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 29.05.2026 को समय करीब 11.46 ए.एम. से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो परिवादी ने उक्त वार्ता में स्वयं की आवाज के अलावा एक आवाज श्री मनोज सुखवाल की एवं महिला की आवाज श्रीमती संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिला चित्तौडगढ की होने की ताईद की। स्वतंत्र गवाहान द्वारा उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की गई। तत्पश्चात समय करीब 11.10 ए. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी को आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर पेश किये, नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया, स्वतंत्र गवाह श्री आशिष कुमार वैष्णव सहायक विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण की तलाशी लिवाई गई, जिसमें परिवादी के पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नही रहने दी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश चन्द्र कानि 54, कार्यालय भ्रनिब्यूरो, चित्तौडगढ से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाई जाकर कार्यालय भ्रनिब्यूरो,

चित्तौडगढ के कार्यालय कक्ष में रखे टेबल पर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 10,000/- रूपये के समस्त नोटों के दोनों तरफ फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटों को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात गवाह श्री आशिष कुमार वैष्णव से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे उपस्थित को दिखाया गया, तो उन्होंने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री दिनेशचन्द्र कानि की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपिया रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगी तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपिया ने रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री दिनेश चन्द्र कानि से नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपिया से हाथ नही मिला कर अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें। श्री दिनेश चन्द्र कानि को फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को स्वयं के पास सुरक्षित रखने एवं कार्यालय भ्रनिब्यूरो, चित्तौडगढ पर ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि द्वारा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली शशीयां, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी, स्वतंत्र गवाह श्री आशिष कुमार सहायक विकास अधिकारी व श्री पुष्कर जोशी कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो टीम सदस्य श्री मोहम्मद जाबीर उनि, श्री सुरेश कुमार सउनि, हैडकानि श्री दिनेश कुमार व श्री चन्द्रकान्त व्यास, श्री राजेश कानि व भ्र.नि.ब्यूरो चित्तौडगढ के श्री सुनिल कुमार हैडकानि व श्री आशा कुमारी महिला कानि का आपस में परिचय कराकर समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई, जिसमे विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा संदिग्ध के मध्य होने वाले रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपिया को रिश्वत राशि देने के पश्चात अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या श्री मोहम्मद जाबीर उनि के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर निर्धारित ईशारा करें एवं उक्त ईशारे के बारे में टीम सदस्यों को समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी का एक्सकवर7 में एक नया रिक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 16 जीबी बरंग काला डालकर चैक किया गया तो मेमोरी कार्ड रिक्त है। सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड को दौरान ट्रेप कार्यवाही रिकॉर्डिंग हेतु श्री दिनेश कुमार हैडकानि को देकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। समय करीब 11.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी को आरोपिया की लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने हेतु कहा तो परिवादी द्वारा उसके मोबाईल नम्बर से आरोपिया के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की तो आरोपिया द्वारा कार्यालय से बाहर होकर एक घण्टे बाद कार्यालय पर उपस्थित होने के बारे में बताया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 11.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 29.05.2026 को समय करीब 11.46 ए.एम. से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो परिवादी ने उक्त वार्ता में स्वयं की आवाज के अलावा एक आवाज श्री मनोज सुखवाल की एवं महिला की आवाज श्रीमती संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिला चित्तौडगढ की होने की एवं उक्त वार्ता स्थान कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिला चित्तौडगढ में आरोपिया के कार्यालय कक्ष में होने की ताईद की। वार्तानुसार शब्द-ब-शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित करवा स्थानीय भाषा का हिन्दी रूपान्तरण करवा पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.05.2026 मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को स्वयं के पास सुरक्षित रखा। समय करीब 12.38 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी को पुनः आरोपिया की लोकेशन की

जानकारी प्राप्त करने हेतु कहा तो परिवादी द्वारा उसके मोबाईल नम्बर से आरोपिया के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की तो आरोपिया द्वारा दो, सवा दो बजे तक कार्यालय पर उपस्थित होने के बारे में बताया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 02.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार सरकारी वाहन बोलेरो से श्री सुरेश कुमार सउनि, गवाह श्री आशिष कुमार, श्री दिनेश कुमार हैडकानि मय सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड, श्री सुनिल कुमार हैडकानि व श्री आशा म.कानि को मय लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के एवं श्री मोहम्मद जाबीर व श्री राजेश कानि को परिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाईकिल से एवं परिवादी को उसके वाहन स्कूटी से शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ (D.C.B.O.) की तरफ रवाना कर पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री पुष्कर जोशी कनिष्ठ सहायक, हैड कानि. श्री चन्द्रकान्त मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व ट्रेप बॉक्स के टेक्सी वाहन से रवाना हो समय करीब 02.15 पीएम पर शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ (D.C.B.O.) के पास पंहुचे। जहां वाहनो को रोड के साईड में खडा कर परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के संचालन की प्रक्रिया की समझाईश कर समय करीब 02.24 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी को देकर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता हेतु कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्य कार्यालय के आस पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम रहे। करीब पांच मिनट बाद परिवादी कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम से बिना ईशारा किये बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आ गया, परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे बन्द कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि कार्यालय के अन्दर श्रीमती संदीपा वोहरा उपस्थित नही मिली। जिस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर उक्त रिकॉर्डिंग को सुना गया तो उसमें परिवादी की आरोपिया या कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्य किसी कार्मिक से वार्ता नहीं होना पाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व ट्रेप टीम सदस्यों के वहां से रवाना होकर एकान्त स्थान कपासन पुलिया की तरफ रवाना हुए। कपासन पुलिया के पास पंहुच वाहनो को रोड के साईड में खडा कर आरोपिया के आने के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात समय करीब 03.27 पीएम पर परिवादी के मोबाईल पर आरोपिया के मोबाईल नम्बर से कॉल आया, परिवादी के कॉल रिसिव करने से पहले की कॉल कट हो गया। जिस पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष समय करीब 03.28 पीएम पर परिवादी ने उसके मोबाईल नम्बर । से आरोपिया के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर वार्ता की गई तो आरोपिया ने थोडी देर में कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पर पंहुचने के बारे में बताकर परिवादी को कार्यालय पर बुलाया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात पूर्वानुसार ही रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता हेतु कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम चित्तौडगढ की तरफ रवाना हुए। तत्पश्चात समय करीब 03.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्य कार्यालय राज्य बीमा निगम के पास पंहुचे, जहां वाहनो को रोड के साईड में खडा कर समय करीब 03.55 पीएम पर परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी को देकर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता हेतु कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्य कार्यालय के आस पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम रहे। समय करीब 04.19 पीएम पर परिवादी ने कार्यालय के बाहर आते हुए गेट के पास से श्री मोहम्मद जाबीर उनि के मोबाईल पर कॉल कर एवं मन् पुलिस निरीक्षक को देखकर सिर पर दोनो हाथ फैरकर निर्धारित ईशारा किया, श्री मोहम्मद जाबीर उनि ने भी मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी के निर्धारित ईशारे के बारे में बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री मोहम्मद जाबीर उनि ने परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर बन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को हमराह लेकर मय ट्रेप टीम सदस्यो के तेज-तेज कदमो से कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परिसर में प्रवेश कर शाखा प्रबन्धक के कक्ष में प्रवेश किया तो वहां एक महिला गेट के पास खडी मिली, परिवादी ने उक्त महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि यही कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चित्तौडगढ की शाखा प्रबन्धक श्रीमती संदीपा वोहरा है जिस पर उक्त महिला को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती संदीपा वोहरा पत्नी श्री कपिल वोहरा, उम्र 56 वर्ष, निवासी 402 अरिहंत अपार्टमेन्ट, बी- 106, उदयमार्ग, तिलक नगर, जयपुर हाल निवासी 3 ए. पी. व्यास कॉलोनी, आनन्द विहार, चित्तौडगढ (श्री दिनेश काकडिया के मकान में किराये पर) हाल शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ (D.C.B.O.) होना बताया। आरोपिया का बांया हाथ कलाई से उपर महिला कानि श्रीमती आशा कुमारी से पकडवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा को परिवादी श्री सत्यनारायण से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 10,000/-

रूपये के बारे में पूछा तो आरोपिया द्वारा कोई रिश्वत राशि के संबंध में कोई जवाब नही दिया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग बन्द करने के लिये कहने लगी और कहा कि मैंने किसी का काम रोका नही है, बार-बार पूछने पर आरोपिया द्वारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि कार्यालय की टेबल पर रखे उसके लैडिज हैडबैंग बरंग काला के अन्दर की चैन लगी हुई जेब में निकाल कर कुर्सी के उपर रख दिये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री आशिष कुमार वैष्णव द्वारा उक्त राशि को कुर्सी से उठाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 20 नोट कुल राशि 10,000/- रूपये होना बताया। आरोपिया को परिवादी से किस कार्य की ऐवज में रिश्वत राशि ग्रहण की के बारे में पूछने पर आरोपिया कहने लगी कि "मैंने इनसे पैसे मांगे नही है, इन्होने ऑफर किया था, मैं सबका काम करती हूं, मेरी रेपूटेशन पता कर लो, मुझे गलत फंसाया है।" जिस पर परिवादी ने आरोपिया की बात का खण्डन करते हुए कहने लगा कि इन्होने मेरे भतिजे का नौ माह से मेडिकल क्लेम पास नही कर मुझसे व श्री मनोज सुखवाल से क्लेम पास करने की ऐवज में 10,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर अभी मुझसे ग्रहण किये है जो इनके पर्स से मिले है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से बरामदशुदा रिश्वत राशि के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहू निम्नानुसार क्रमश (1.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7AS 135918, (2.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 2AB 597641, (3.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 6ET 157541, (4.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 2CH 293027, (5.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 0AT 337661, (6.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 6PB 804280, (7.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 4BA 327137, (8.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 5RL 017813, (9.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 4H S 704637, (10.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 5TQ 612993, (11.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 0CW 690856, (12.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 0LL 286195, (13.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 3U F 345297, (14.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 3KU 768011, (15.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 0HT 129561, (16.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 4KP 695702, (17.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 0SG 042242, (18.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 6RT 424841, (19.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 9PD 981282, (20.) 500 रूपये का एक नोट नंबर 2D C 797463 पाये गये। बरामदशुदा उक्त रिश्वति राशि को स्वतंत्र गवाह श्री आशिष कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। आरोपिया के दोनो हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल परिवादी के लैडिज हैंडबैग के अन्दर की जेब का धोवन लेने की कार्यवाही हेतु श्री राजेश कुमार कानि से टेक्सी वाहन में रखा हुआ ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर श्री सुनिल कुमार कानि से कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उक्त गिलास में श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर ट्रेप बॉक्स में रखी सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी को निकलाकर श्री चन्द्रकान्त हैडकानि से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाईदार हुआ, जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया, इस धोवन के घोल को श्री सुरेश कुमार सउनि द्वारा दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर शीशियों पर मार्क R H -1 व R H -2 अंकित किया गया। इसी प्रकार दूसरे पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाईदार हुआ, जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया, इस धोवन के घोल को श्री सुरेश कुमार सउनि द्वारा दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर शीशियों पर मार्क L H - 1 व L H - 2 अंकित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि द्वारा ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाला गया, जिसमें श्री चन्द्रकान्त हैडकानि द्वारा पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसर श्रीमती आशा कुमारी म.कानि द्वारा आरोपिया के लैडिज हैंडबैग में रखी सामग्री को निकालकर बैग को खाली किया गया। तत्पश्चात श्री चद्रकान्त हैडकानि द्वारा आरोपिया के उक्त लैडिज हैंडबैग की अन्दर की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई को उल्टाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया, इस धोवन के घोल को श्री चन्द्रकान्त हैडकानि द्वारा दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर शीशियों पर मार्क B - 1 व B - 2 अंकित किया गया। श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि व श्री राजेश कुमार कानि द्वारा उक्त शीशियों को सिलचिट कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री आशिष कुमार वैष्णव के पास सुरक्षित रखवायी गई बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 के 20 नोट कुल 10,000/- रुपये को गुलाबी रंग के कागज में सिलचिट किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपिया को परिवादी श्री सत्यनारायण के भतिजे श्री दिनेश कुमार गाडरी के पेण्डिंग कार्य मेडिकल बीलों के क्लेम व मेडिकल लीव (छुट्टियों) से संबंधित दस्तावेजो के बारे में पूछा तो आरोपिया ने उसके कार्यालय में रखे काले रंग के सोल्डर बैंग से श्री दिनेश कुमार गाडरी के क्लेम से संबंधित दस्तावेज

निकाल कर प्रस्तुत किये और बताया कि पेमेन्ट बना हुआ है ऑनलाईन आप चैक कर सकते हो। जिस पर आरोपिया को ऑनलाईन क्लेम संबंधी स्टेटस दिखाने के लिये कहा तो आरोपिया द्वारा कार्यालय कक्ष में रखे कम्प्यूटर को ऑन कर वेब ब्राउजर में ईएसआईसी बेवपोर्टल सर्च करने का प्रयास किया गया तो इन्टरनेट कनेक्टीविटी नही होने से वेबपोर्टल ओपन नही हुआ। आरोपिया द्वारा प्रस्तुत श्री दिनेश कुमार गाडरी के मेडिकल क्लेम से संबंधित दस्तावेजो को बाद अवलोकन संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपिया के लैडिज हैंडबैग के अन्दर की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उसको सुखाकर जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर उक्त बैग को श्री सुरेश कुमार सउनि से सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि बरामदगी व धोवन की कार्यवाही के दौरान श्री दिनेश कुमार हैडकानि द्वारा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी का एक्सकवर7 मय मेमोरी कार्ड के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सिलचिटशुदा आर्टिकल्स को श्री सुरेश कुमार सउनि को निर्देशित कर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात समय 06.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा पत्नी श्री कपिल वोहरा, उम्र 56 वर्ष, निवासी 402 अरिहंत अपार्टमेन्ट, बी- 106, उदयमार्ग, तिलक नगर, जयपुर हाल निवासी 3 ए.पी. व्यास कॉलोनी, आनन्द विहार, चित्तौडगढ हाल शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ (D.C.B.O.) के विरूद्ध अब तक की गई कार्यवाही से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपिया की जामा तलाशी श्री आशा कुमारी महिला कानि. 105 से लिवाई जाकर आरोपिया को धारा 35 बी.एन.एस.एस., 2023 की पालना में किये गये जुर्म से अवगत कराया जाकर हस्बकायदा नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी आरोपिया को गिरफ्तारी के लिखित कारणों से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा को इन्टरनेट कनेक्टीविटी चालू होने से परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी के भतिजे श्री दिनेश कुमार गाडरी के ऑनलाईन क्लेम संबंधी स्टेटस दिखाने के लिये कहा तो आरोपिया द्वारा उसके कार्यालय के कम्प्यूटर में वेब ब्राउजर में ईएसआईसी वेबपोर्टल सर्च ऑपन कर वेबपोर्टल पर आरोपिया द्वारा उसकी आईडी से लॉगिन कर श्री दिनेश कुमार गाडरी के क्लेम अपटेडेशन के वेबपेज को ओपन किया गया। जिनके श्री दिनेश कुमार हैडकानि द्वारा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी का एक्सकवर 7 मय मेमोरी कार्ड से फोटोग्राफ लिये जाकर लेपटॉप से मोबाईल फोन को कनेक्ट कर प्रिन्ट निकाली जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही किये गये। तत्पश्चात बाद कार्यवाही समय 07.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष गिरफ्तारशुदा आरोपिया को महिला कानि की निगरानी में हमराह लेकर मय परिवादी व ट्रेप टीम सदस्यो एवं ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर के अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हो समय करीब 07.35 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पंहुचे। आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा का स्वास्थ्य परीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपिया को महिला कानि श्रीमती आशा कुमारी की निगरानी में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि. 263 द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी एवं आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 30.05.2026 को समय करीब 11.40 ए.एम., 12.38 पी.एम. व 03.28 पी.एम. पर परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी के मोबाईल नम्बर व आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा के मोबाईल नम्बर पर हुई मोबाईल वार्ताओ को चलाकर हाजिरान को सुनवाई गया, तीनों मोबाईल वार्ताओं में परिवादी श्री सत्यनारायण ने एक आवाज स्वयं की होने एवं दूसरी महिला की आवाज आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा की होने की पहचान कर आवाज होने की ताईद की, आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा ने उक्त वार्ता में एक आवाज स्वयं की होकर पहचान की गई, वार्तानुसार शब्द-ब-शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मुर्तिब की गई। समय करीब 11.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि. 263 द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी एवं आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 30.05.2026 को समय करीब 03.55 पी.एम. से परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी व आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा शाखा प्रबंधक के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता को चलाकर हाजिरान को सुनवाई गया, वार्ता में परिवादी श्री सत्यनारायण ने एक आवाज स्वयं की होने की ताईद की एवं अन्य दूसरी महिला की आवाज आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा की होने की पहचान कर आवाज होने की ताईद की, आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा ने उक्त वार्ता में एक आवाज स्वयं की होकर पहचान की गई, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 30.05.2026 मुर्तिब की गई। दिनांक 31.05.2026 समय करीब 12.30 ए.एम. पर डिजिटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ताओ को फाईल्स को कॉपी कर मूल पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी बरंग लाल व काला तैयार कर हैशवेल्यू निकाली जाकर मूल पेनड्राईव को सिलचिट कर मार्क P N दिया गया, जिसकी फर्द पेनड्राईव एवं जप्ती पेनड्राईव मुर्तिब की गई। समय करीब 01.00 ए.एम. पर डिजिटल वाईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ताओ की हैशवैल्यू निकाली जाकर मूल मेमोरी कार्ड (सेनडिस्क कम्पनी का 16 जी.बी. बरंग काला) को

सिलचिट कर मार्क M दिया गया, जिसकी फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड मुर्तिब की गई। समय 01.30 ए.एम. पर सरकारी मोबाईल फोन सेम्संग कम्पनी का एक्स कवर 7 में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दौरान ट्रेप कार्यवाही की गई ऑडियो-वीडियोग्राफी की फाईल्स को कॉपी कर मूल पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी बरंग लाल व काला तैयार कर हैशवेल्यू निकाली जाकर मूल पेनड्राईव को सिलचिट कर मार्क V N दिया गया, जिसकी फर्द पेनड्राईव एवं जप्ती पेनड्राईव मुर्तिब की गई। समय करीब 02.00 ए.एम. पर सरकारी मोबाईल फोन सेम्संग कम्पनी का एक्स कवर 7 में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दौरान ट्रेप कार्यवाही की गई ऑडियो-वीडियो रिकॉडिंग की फाईल्स की हैशवैल्यू निकाली जाकर मूल मेमोरी कार्ड (सेनडिस्क कम्पनी का 16 जी.बी. बरंग काला) को सिलचिट कर मार्क V दिया गया, जिसकी फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड ऑडियो-वीडियो रिकॉडिंग मुर्तिब की गई। समय करीब 10.20 एएम पर नक्शा मौका घटना स्थल शाखा प्रबन्धक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कक्ष, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ मुर्तिब किया गया। आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक को जरिये रिमाण्ड के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एसीबी चित्तौडगढ के समक्ष पेश किया, आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा आदेशित करने पर आरोपिया को केन्द्रीय काराग़ह उदयपुर में जमा करवाया गया। इस प्रकार दिनांक 25.05.2026 को ए.सी.बी. चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर पर सूत्र सूचना मिली कि "जिला चित्तौडगढ में हिन्दुस्तान जिंक चंन्देरिया में कार्यरत एल एण्ड टी कम्पनी का कर्मचारी अगस्त 2025 में ड्यूटी के दौरान अचानक लकवाग्रस्त हो गया था, उक्त कर्मचारी दिनेश कुमार गाडरी के मेडिकल बिलों का भूगतान करने व छुट्टियों के पैसे पास करने के एवज में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिला चित्तौडगढ की मैनेजर श्रीमती संदीपा वोहरा द्वारा दिनेश गाडरी के अंकल श्री सत्यनारायण गाडरी व एल एण्ड टी कम्पनी के एच.आर. मैनेजर श्री मनोज सुखवाल से रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।" जिस पर एल एण्ड टी कम्पनी चित्तौडगढ के एच.आर. मैनेजर श्री मनोज सुखवाल व श्री सत्यनारायण गाडरी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी द्वारा इस संबंध में लिखित रिपोर्ट दिनांक 26.05.2026 को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 29.05.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवायी गई, जिसमें आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक द्वारा श्री दिनेश कुमार गाडरी के मेडिकल बिलों का भूगतान करने व मेडिकल लीव (छुट्टियों) के पैसे पास करने के एवज में श्री दिनेश गाडरी के अंकल परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी व एल एण्ड टी कम्पनी के एच.आर. मैनेजर सहपरिवादी श्री मनोज सुखवाल से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होने पर अग्रिम कार्यवाही की गई, दिनांक 30.05.2026 को आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक द्वारा अपनी मांग अनुसार परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये अपने कार्यालय कक्ष में ग्रहण कर अपने लैडिज हैडबैग की अन्दर की जेब में रखे, जहॉ से रिश्वत राशि को बरामद किया जाकर आरोपिया के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपिया को गिरफ्तार किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा, शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ द्वारा अपने पद एवं अधिकारो को दुरूपयोग कर हिन्दुस्तान जिंक, चन्देरिया जिला चित्तौडगढ में कार्यरत कम्पनी लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड (एल एण्ड टी) में कार्यरत श्रमिक श्री दिनेश कुमार गाडरी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत इन्शोर्ड पर्सन के लकवाग्रस्त होने से अस्थायी अपंगता हितलाभ मेडिकल लीव (छुट्टियो) के भुगतान एवं मेडिकल बिलों का भूगतान हेतु आवेदन करने पर श्री दिनेश कुमार गाडरी के अंकल परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी एवं एल एण्ड टी कम्पनी के एच.आर. मैनेजर सहपरिवादी श्री मनोज सुखवाल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.05.2026 के दौरान 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई एवं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 30.05.2026 के दौरान परिवादी श्री सत्यनारायण गाडरी से मांग अनुसार रिश्वत राशि 10,000/- रूपये ग्रहण किये गये। आरोपिया का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रमाणित है। अतः आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा पत्नी श्री कपिल वोहरा, उम्र 56 वर्ष, निवासी 402 अरिहंत अपार्टमेन्ट, बी-106, उदयमार्ग, तिलकनगर, जयपुर हाल निवासी 3 ए.पी. व्यास कॉलोनी, आनन्द विहार, चित्तौडगढ हाल शाखा प्रबन्धक, औषधालय सह शाखा कार्यालय (D.C.B.O.), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय) लक्ष्मण लाल डांगी(पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती संदीपा वोहरा पत्नी श्री कपिल वोहरा, उम्र 56 वर्ष, निवासी 402 अरिहंत अपार्टमेन्ट, बी-106, उदयमार्ग, तिलकनगर, जयपुर हाल निवासी 3 ए. पी. व्यास कॉलोनी, आनन्द विहार, चित्तौडगढ हाल शाखा प्रबन्धक, औषधालय सह शाखा कार्यालय (D.C.B.O.), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), जिला चित्तौडगढके विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम

सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 28 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 884-87 दिनांक 02.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ 2- महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-उदयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIKRAM SINGH PARMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/06/2026 18:28:03

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)